

हरियाणा सरकार

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 1997

संख्या सा० का० नि० 30/संवि०/अनु० 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा संक्षिप्त नाम ।
नियम, 1997, कहे जा सकते हैं ।

(2) यह तुरन्त लागू होंगे ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) “प्रशासनिक सचिव” से अभिप्राय है, —सचिव, हरियाणा सरकार
वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग;

(ख) “मुख्य वन्य प्राणी वार्डन” से अभिप्राय है, वन्य जीव (संरक्षण)
अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (क) के
अनुसार मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा;

(ग) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(घ) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति
या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ङ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में, हरियाणा सरकार ;

(च) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि,
उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध
या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(घ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग लिपिक वर्गीय (ग्रुप-ख) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने से सरकार के अन्तर्निहित अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंजानिया और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या

ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि या उससे पहले 17 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक आयु का न हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकती, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि, सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) अधीक्षक के पद पर भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेंगी—

(i) उप अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी, केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का आधार प्रदान नहीं करेगी ।

परिबीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिबीक्षा की अवधि से गिनी जायेंगी ;

(ख) नियुक्ति की दशा में, स्थानान्तरण सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिबीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिबीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती के अन्य नियुक्त किया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर, नियुक्त प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो ;

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई किसी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी अन्य ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई शामिल हो, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार ज्येष्ठता।

सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठा प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा अन्य किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की शा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ; या

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा-काल भी समान हो, तो आयु से बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का
दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वातन्त्र्य निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड

(ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
भामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा

विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई या उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गए हों या बनाए गए हों अथवा उसके बाद अपनाए या बनाए जायें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे : अनुशासन, शास्तियां तथा अपील।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शक्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में बताया गया हो।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश टीका लगवाना। द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि राजनिष्ठा की शपथ। द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, ध्यवितियों के ढील देवे की किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह विशेष उपबन्ध। नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आरक्षण। समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसत तथा
व्यावृत्ति ।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों इसके द्वारा निरसत किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

[देखिए नियम 3]

पदों की संख्या

क्र. सं.	पदनाम	स्थायी	जोड़	अस्थायी	वैतनमान
1	2	3	4	5	
1	अधीक्षक	—	1	1	2,000—60—2,300—ई० वी०—75— 3,200—100—3,500 रुपये

परिशिष्ट-ख

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	अधीक्षक	उप अधीक्षक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव	

1 अधीक्षक

उप अधीक्षक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव

परिशिष्ट ग

[द्विष्टि नियम 14(1)]

क्रम संख्या	वदनाम	निम्नलिखित प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
----------------	-------	-----------------------	---------------------	--	--------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1 अमीलक

सरकार

1. छोटी शास्तियां—

- (i) वैयक्तिक फाईल
(आचरण पंजी) पर
प्रति रखते हुए चेतवनी ;
- (ii) परिनिन्द ;
- (iii) पदोन्नति रोकना ;

- (iv) आदेशों की उपेक्षा मुख्य वन्य प्रशासनिक सरकार
या उन्नयन द्वारा केन्द्रीय प्राणी वाईन सचिव
सरकार या राज्य सरकार हरियाणा
को या ऐसी कम्पनी, तथा
संगम तथा व्यष्टि निकाय
चाहे वह निगमित हो
या नहीं जिसका पूर्ण
या अधिकांश स्वामित्व या
नियन्त्रण सरकार के पास
है या संसद या राज्य विधान-
मण्डल के अधिनियम द्वारा
स्थापित किसी स्थानीय

1 2 3 4 5 6 7

प्राधिकरण या विश्वविद्यालय
को हुई धन सम्बन्धी हानि
पूरी की या उसके भाग की
वेतन से वसूली ;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन
वृद्धियां रोकना ।

2. बड़ी शास्तियां—

(vi) संचयी प्रभाव से
वेतन वृद्धियां रोकना ;

(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि
के लिए समयमान में निम्न-
तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे
अतिरिक्त निर्देशों सहित कि
क्या सरकारी कर्मचारी
ऐसी अवनति की अवधि के
दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित
करेगा या नहीं और क्या
ऐसी अवधि की समाप्ति
पर ऐसी अवनति उसकी
भावी वेतन वृद्धियां स्थगित
करने का प्रभाव रखेगी या
नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड,
पद या सेवा पर ऐसी
अवनति जो सरकारी
कर्मचारी के उस समय
वेतनमान, ग्रेड, पद या
सेवा पर जिससे वह
अवनत किया गया था,
पदोन्नति के लिए
साधारणतया रोक होगी
ऐसा जिस ग्रेड, अथवा

[illegible]

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6

1	अधीक्षक	(क) पेंशन को नियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	सरकार	—	—
---	---------	--	-------	---	---

एस० के० महेश्वरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वन्य प्राणी परिक्षण विभाग, चण्डीगढ़ ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

WILD LIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd April, 1997

No. G. S. R. 30/Const./Art. 309/97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Wild Life Preservation Department, Ministerial (Group B) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short Title,

1. (1) These rules may be called the Haryana Wild Life Preservation Department Ministerial (Group B) Service Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

Definition.

2. In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrative Secretary" means Secretary to Government, Haryana, Wild Life Preservation Department;

(b) "Chief Wild Life Warden" means Chief Wild Life Warden, Haryana as per clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 ;

(c) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(d) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(e) "Government" means, the Haryana Government in the Administrative Department ;

(f) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Wild Life Preservation Department, Ministerial (Group B) Service ;

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the post shown in Appendix-A to these rules :

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University College, School or Institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before the last date of the submission of application to the Commission or any other recruiting authority.

Age.

Appointing Authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 3 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the post of Superintendent shall be made,—

(i) by promotion from amongst Deputy Superintendents ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government, or the Government of India.

(2) All promotions, unless, otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur unless, otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise ;

Provided that :—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation :

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct, of a person during the period of probation is not satisfactory, if may,—

(a) If such person is appointed by direct recruitment dispense with his services; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointment against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy; or

(b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointment by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service;

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, in any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Providing further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from the different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to service.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under:—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;
- (ii) The Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) Any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension, and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by competent authority, under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

Pay, leave,
pension and
other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Discipline,
penalties and
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix B to these rules.

15. Every members of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general orders.

Vaccination.

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the Oath of allegiance to India and to the constitution of India as by law established.

Oath of
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of
relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Special
provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of person in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Reservations.

Provided that total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Repeal and
Savings.

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
	Perma- nent	Tempo- rary		
1	2	3	4	5
Superintendent	—	1	1	Rs. 2000—60—2300—EB— 75—3200—100—3500

APPENDIX B

(See rule 7)

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
Superintendent	—	Three years experience as Deputy Superintendent.

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Designation of posts	Appoint- ing authority	Nature of penalty	Authority empow- ered to impose penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6

MINOR PENALTIES:

Superintendent Government (i) Warning with a copy on the personal file (character roll); Chief Wildlife Warden Administrative Secretary Government

(ii) Censure ;

(iii) withholding of promotions ;

(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence of breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ;

(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;

MAJOR PENALTIES:

(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;

1

2

3

4

5

6

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post of service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employees to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post of service ;

(viii) compulsory retirement ;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the Government ;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Designation of post	Name of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5
Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	—	—

S. K. MAHESHWARI,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Wildlife Preservation Department, Chandigarh.